न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 26/21 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2021/98

उनवान

1. मेघराम पुत्र श्री कुन्दनलाल उम्र करीब 62 वर्ष जाति मीणा निवासी धनेरा तहसील सरमथुरा, जिला धौलपुर।
2. लाल सिंह पुत्र श्री किशोरीचन्द उम्र करीब 60 वर्ष जाति मीणा, निवासी ग्राम धनेरा, तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।

..... अपीलांट।

बनाम

1. कल्यान } पुत्रगण चिरमोली कौम जाटव नि0 ग्राम धनेरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर
2. राजेन्द्र }

.....वादी/रैस्पो0

3. सामन्ता पुत्र सामलिया }
4. दौजी पुत्र हरवक्स } कौम जाटव नि0 ग्राम खुर्दिया तह0 सरमथुरा जिला धौलपुर।
5. होरीलाल पुत्र ल्होरे }
6. किन्ती पुत्री चिरमोली }
7. दौजा पुत्र चिरमोली }
8. प्रेमवाई पुत्री चिरमोली }
9. पानवाई पुत्री चिरमोली } समस्त जातिगण जाटव नि0 ग्राम खुर्दिया तहसील सरमथुरा
10. पोथी पुत्र चिरमोली } जिला धौलपुर।
11. बच्चू पुत्र चिरमोली }
12. रामोली पुत्री चिरमोली }
13. सियाराम पुत्र चिरमोली }
14. हल्के पुत्र सीताराम जाति कोली निवासी ग्राम छावर तहसील मासलपुर जिला करौली।

.....प्रतिवादी/रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी दि0 30.04.1993 मि.नं. 49/93 उनवानी कल्याण बनाम सामन्ता।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौ...

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री सत्यप्रकाश कौशिक उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री किशन सिंह त्यागी उपस्थित।

निर्णय दिनांक–21.02.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.1993 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी रैस्पो0 इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी के सम्पूर्ण रकवा का अगॅनू खातेदार काश्तकार था व अन्य कुछ आराजी का 1/2 भाग का अंगनू एवं 1/2 भाग के सावलिया थे एवं इसी हैसियत से मौके पर काबिज रहकर काश्त कर रहे थे। सावलिया ला बिला औलाद फौत हो गया व अंगनू जो सावलिया का सगा भाई था। उपरोक्त आराजी सम्पूर्ण में वादग्रस्त आराजी में वाद पत्र अनुसार खातेदार व काबिज हुआ। अंगनू वादी रैस्पो0 के दूर के रिश्ते में था और दावा दायरी से 20 वर्ष पूर्व वादी रैस्पो0 के पास आकर रहने लग गया था वादी रैस्पो0 के माता पिता ने उनकी सेवा सुश्रषा की उक्त सेवा से खुश होकर जुबानी तौर पर अपने मरने के बाद विवादित आराजीयात का वारिस बनाना व दिनांक 02.12.1992 को ग्राम के काफी लोगों को इकट्टा कर एक अन्तिम वसीयत कराकर अपने अंगूठा कर दिये। उक्त वसीयत को लेकर वादी रैस्पो0 पटवारी हल्का के पास गये तो उन्होंनें दाखिला खारिज खोलने से मना कर दिया। अतः वाद प्रस्तुत कर वसीयत के आधार पर दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, वाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 96 सीपीसी के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। रैस्पो0 ने वसीयत को अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार से साबित नहीं कराया है। जबकि वसीयत का अनुप्रमाणन आवश्यक है। चाहे वह रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड या फिर 30 वर्ष पुरानी ही क्यों ना हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

अंगनू जो वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार रहा वह लाऔलाद फौत हुआ वो कभी भी रैस्पो0 के साथ नहीं रहा ना ही रैस्पो0 का उससे कोई संबंध रहा एवं ना ही कोई वसीयत ही की गयी। विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कब्जा काश्त भी नहीं है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है एवं अंगनू मृत्यु पर्यन्त अपीलाण्ट के साथ ही रहा है एवं अपीलाण्ट ही उसकी आराजी पर काश्त करते थे। वसीयत फर्जी है वादी एवं प्रतिवादी द्वारा आपस में साज कर दावा डिक्री कराया है। मियाद के संबंध में उनका कथन है कि रैस्पो0 वादग्रस्त आराजी पर अर्सा करीब जून 2020 में आकर कब्जा करने की कोशिश व अपीलाधीन आदेश का जिक्र किया तब जाकर अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुयी। तत्पश्चात् कोरोना महामारी व लॉक डाउन के चलते अपीलाण्ट को नकल आदि नहीं मिल पायी जैसे ही लॉक डाउन समाप्त हुआ, नकल आदि लेकर जानकारी की दिनांक से अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। अतः मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया एवं साथ में वैकल्पिक रूप से यदि न्यायालय अपीलाण्ट को खातेदारी अधिकार देना उचित ना समझे तो विवादित आराजी को राजकीय भूमि घोषित किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर एआईआर 2015 पेज 2382, 272, 200, 1975 पेज 179, 2003 पेज 761, 1956 पेज 306, आरआरटी 2006(2) पेज 1113, 2013(1) पेज 443, 2014(1) पेज 209, डीएनजे 1996 पेज 1 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमे हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपीलाण्ट ने जो बहस की गयी है वह अपील में अंकित कथनो के बाहर जाकर की गयी है। अपीलाण्ट को बहस के बिन्दु अपील में लिखने चाहिये थे। अपीलाण्ट ने अपील स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत नहीं की गयी है। अनुतोष में एक तरफ तो खातेदार काश्तकार घोषित कराना चाहते हैं वही दूसरी तरफ विवादित आराजी को राजकीय सम्पत्ति घोषित कराने का अनुतोष चाहते हैं। जबकि राजकीय सम्पत्ति घोषित कराने का अधिकार केवल तहसीलदार को है। कानून की गलत व्याख्या की गयी है तो अपील में लिखना होगा। अपील के साथ जो धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र लगाया गया है। उसमें अपीलाण्ट ने यह नहीं लिखा कि वह अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार परिवेदित हैं। अपील भी 27 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी है एवं देरी का कोई उचित कारण नहीं बताया। पटवारी की रिपोर्ट भी है, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। वसीयत स्वयं ने स्वीकार कर ली तो गवाह के शपथ पत्र प्रस्तुत हो गये। वसीयत रजिस्टर्ड है। कब्जा स्वत्व का सबूत है। अपीलाण्ट के पक्ष में कोई दस्तावेज नहीं हैं

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कब्जा काश्त है। इसलिये रैस्पो0 वास्तविक मालिक के खिलाफ दावा लेकर आये एवं डिक्री हुआ। इस प्रकार अपीलाण्ट की अपील धारा 96, मियाद एवं गुणावगुण तीनो ही बिन्दु पर खारिज योग्य है। यदि न्यायालय श्रीमान् अपील को रिमाण्ड भी करें तो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई दस्तावेज ही नहीं है। सारे दस्तावेज प्रकरण पुराना होने के कारण बीडिंग में हटा दिये गये हैं। अंत में अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2022(1) पेज 346, 2021(4) पेज 1046, आरएलडब्ल्यू 2020(4) पेज 2985, 2013(4) पेज 3548, 1999(2) पेज 1358, आरआरडी 2019 पेज 592, आरआरटी 2019(2) पेज 1233, 2009–10 पेज 270, 2021(2) पेज 755, 2015(1) पेज 232, 2003(2) पेज 984, 2009 पेज 465डब्ल्यूएलसी 2009 पेज 492, डीएनजे 2021(4) पेज 1046 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

5. सर्वप्रथम धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 पर विचार किया जाना अपेक्षित है। धारा 96 पर अपीलाण्ट का तर्क है कि वादी व प्रतिवादी ने फर्जी वसीयत तैयार कर आपस में साज कर अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है एवं अपीलाण्ट को उक्त प्रकरण में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया। विवादित आराजी में अपीलाण्ट के अधिकार तय होने हैं। इसलिये अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने का अनुतोष चाहा। हमने मनन किया। अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी में यह अंकित नहीं किया है कि वह अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार परिवेदित हैं एवं अंगनू से उनका क्या रिश्ता है अथवा अंगनू की विवादित आराजी में उनके किस प्रकार स्वत्व हैं। अपीलाण्ट अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं एवं रैस्पो0 अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं तो अपीलाण्ट का उनसे कैसे एवं किस प्रकार का संबंध हो सकता है, कोई उल्लेख प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी में नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार परिवेदित माना जा सकता है। लिहाजा अपीलाण्ट धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं होते हैं।

6. धारा 5 में अपीलाण्ट का तर्क है कि चूंकि रैस्पो0 ने अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया इसलिये उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हुयी। हम पाते हैं कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.1993 का है जिसकी अपील अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 15.12.2020 को लगभग 27 वर्ष 08 माह पश्चात् प्रस्तुत की गयी है। अपीलाण्ट का कथन है कि उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी जून 2020 को हुयी। तत्पश्चात् नकल आदि लेकर जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। हमने मनन किया। अपीलाण्ट जून 2020 में अपीलाधीन आदेश की जानकारी होना कथन करते हैं। परन्तु उनके द्वारा जानकारी की

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

दिनांक से भी छः माह की देरी से अपील प्रस्तुत की गयी है। जब विलम्ब के प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण विधिक अनिवार्यता हो तब अपील प्रस्तुत करने में 27 वर्ष 08 माह से अधिक अवधि का विलम्ब किसी भी प्रकार क्षम्य नहीं है। अतः मिंयाद के बिंदु पर भी अपील खारिज योग्य है।

7. चूंकि प्रकरण में गुणावगुण पर भी सुनवाई हो चुकी है। अतः उसकी विवेचना भी प्रासंगिक है। गुणावगुण पर हम पाते हैं कि अपीलाण्ट अंगनू को अपने साथ रहना एवं उसकी खातेदारी की आराजी पर अपना कब्जा काश्त बताते हैं। जब विवादित आराजी पर उनका कब्जा काश्त था और उन्हें अंगनू की मृत्यु की सूचना थी, तो उन्होंनें आदिनांक तक अंगनू की विवादित आराजी पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित कराने की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। अपीलाण्ट द्वारा अपील में भी यह अनुतोष चाहा गया है कि वादग्रस्त आराजी का अपीलाण्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन करते हैं एवं वैकल्पिक रूप से उनका कथन है कि यदि अपीलाण्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायालय श्रीमान् उचित नहीं समझे तो वादग्रस्त आराजी को राजकीय सम्पत्ति घोषित किया जावें। जबकि विवादित आराजी को राजकीय सम्पत्ति घोषित कराने का अधिकार अपीलाण्ट को ना होकर भूमि धारी तहसीलदार का होता है। अपीलाण्ट का हस्तगत अपील के माध्यम से इस प्रकार के अनुतोष का निवेदन, रैस्पो० के प्रति दुर्भावना एवं अपील स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत नहीं करने के तथ्य को उजागर करता है। इसके विपरीत रैस्पो० के पक्ष में अंगनू की रजिस्टर्ड वसीयत है। अंगनू जीवन पर्यन्त रैस्पो० के पास रहा। इस तथ्य को भी प्रथम दृष्टया नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि रैस्पो० व अंगनू एक ही जाति के व्यक्ति थे। इसके अलावा अपीलाण्ट ने दौराने बहस वसीयत के प्रमाणीकरण पर जोर दिया है। उक्त तथ्य भी अपीलाण्ट को कोई लाभ नहीं पहुँचाता है। क्योंकि जैसा कि ऊपर प्रार्थना पत्र धारा 96 की विवेचना में आ चुका है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश से परिवेदित होना नहीं पाया गया है। लिहाजा वह अपीलाधीन आदेश को किसी प्रकार चुनौती नहीं दे सकते हैं। वैसे भी अपीलाधीन आदेश वसीयत के आधार पर राजीनामा से निर्णित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में पटवारी हल्का की रिपोर्ट तलब की गयी हैं एवं वसीयत के गवाहो के शपथ पत्र भी लिये गये हैं। जैसा कि निर्णय में अंकित है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की बीडिंग हो जाने के कारण उक्त दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकित उक्त तथ्यो को तब तक झुठलाया नहीं जा सकता जब तक कि उक्त तथ्य को किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं कर देते। रैस्पो० का विवादित आराजी पर कब्जा एवं अंगनू का उनके साथ रहना भी साबित हैं। क्योंकि अंगनू की मृत्यु के बाद रैस्पो०

अधिकारी
पदेन
अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

ही अधीनस्थ न्यायालय में दावा लेकर गये। यदि अपीलाण्ट अंगनू के पास रहा होता अथवा उनका विवादित आराजी पर कब्जा है, तो वह इतने समय मौन क्यों रहे एंव कोई चाराजोही क्यों नहीं की गयी। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज योग्य समझते हैं।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.1993 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर